रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-02032023-244042 CG-MH-E-02032023-244042

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] No. 141] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 28 फरवरी, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2023

- सं. सेबी./एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/125.—बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पिठत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-
- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से एक सौ अस्सीवें दिन लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में-

1292 GI/2023 (1)

- विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,
 - i. खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थातु,-
 - "(ट) "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों" (की मैनेजमेंट पर्सोनल) में शामिल होंगे:
 - i. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो: या
 - ii. ऐसा कोई व्यक्ति, जो विभाग या शाखा (वर्टिकल) के प्रमुख के रूप में कार्यरत हो और निक्षेपागार के प्रबंध निदेशक या उसके शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड) के निदेशकों को सीधे रिपोर्ट करता हो; या
 - iii. ऐसा कोई व्यक्ति, जो उस मुख्य कार्य के प्रमुख के रूप में कार्यरत हो, जिसका उल्लेख इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के भाग-ग में किया गया है; या
 - iv. ऐसा कोई व्यक्ति, जो ओहदे में निक्षेपागार में मुख्य कार्य करने वाले किसी विभाग (किन्हीं विभागों) के प्रमुख के ओहदे से ऊपर हो; या
 - v. प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों के रिपोर्टिंग अधिकारी; या
 - vi. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति" के रूप में परिभाषित किया गया हो; या
 - vii. ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रबंध निदेशक या नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अनुसार निक्षेपागार अथवा उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष महत्त्वपूर्ण समनुषंगियों (सब्सिडियरी) के स्तर पर निर्णय लेने वाला मुख्य प्राधिकारी हो:
 - परंतु यह कि निक्षेपागार की जो समनुषंगी (सब्सिडियरी) वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक (रेग्यूलेटर) द्वारा विनियमित (रेग्यूलेटिड) हो, उसके मामले में यह तय करने के लिए उस विनियामक द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों पर विचार किया जा सकेगा कि क्या समनुषंगी (सब्सिडियरी) से जुड़े किसी व्यक्ति को प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति के रूप में पदनामित किया गया है या नहीं;"
 - ii. खंड (ट) के बाद और खंड (ठ) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 - "(टक) "गैर-स्वतंत्र निदेशक" का अर्थ है वह निदेशक, जिसे उन शेयरधारकों द्वारा चुना या नामित किया गया हो, जो, यथास्थिति, न तो निक्षेपागार सहभागी हो, और न ही उनके सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) और एजेंट हों;"
 - iii. खंड (त) हट जाएगा।
- II. विनियम 7 में
 - i. मौजूदा खंड ग, खंड (ग) (i) बन जाएगा।
 - ii. खंड ग (i) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा

- "(ii) निक्षेपागार का कोई भी कर्मचारी साथ-साथ किसी अन्य कंपनी का कर्मचारी नहीं होगा जहां निक्षेपागार ने निवेश किया हो ।
- (iii) निक्षेपागार का निदेशक, उसके सिमिति का सदस्य या कर्मचारी उन कंपनियों से कोई मुआवजा या कोई अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं करेगा [उन शुल्क और खर्चों के अलावा जो शासी बोर्ड और सिमिति की बैठकों से संबंधित हैं] जहां निक्षेपागार ने निवेश किया हुआ हो।"

III. विनियम 24 में,

- ं. उप-विनियम (1) के खंड (क) में, उप-विनियम (3) में, उप-विनियम (4) में, उप-विनियम (5) में, उप-विनियम (7) में, और उप-विनियम (8) में, शब्दों "शेयरधारक निदेशक" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "गैर-स्वतंत्र निदेशक" और शब्दों "शेयरधारक निदेशकों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "गैर-स्वतंत्र निदेशकों" आ जाएँगे।
- ii. उप-विनियम (13) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 - "(14) (क) निक्षेपागार के शासी मंडल में वे निदेशक शामिल होंगे, जिनके पास पूँजी बाजार, वित्त (फाइनेंस) और लेखाशास्त्र (अकाउंटेंसी), विधिक (लॉ) एवं विनियामक पद्धतियों, तकनीक, जोखिम प्रबंधन और प्रबंधन या प्रशासन के क्षेत्र में अपेक्षित योग्यताएँ और अनुभव हो:

परंतु यह कि निक्षेपागार के शासी मंडल में कम से कम एक लोक हित निदेशक शामिल होगा, जिसके पास पूँजी बाजार, वित्त (फाइनेंस) और लेखाशास्त्र (अकाउंटेंसी), विधिक (लॉ) विनियामक पद्धतियों, और तकनीक, प्रत्येक क्षेत्र में अपेक्षित योग्यताएँ और अनुभव हो।

(ख) निक्षेपागार ऐसे निदेशकों को भी नियुक्त कर सकेगा, जिनके पास ऐसे अन्य क्षेत्रों से संबंधित योग्यताएँ और अनुभव हो, जो उनके लिए अपेक्षित हो:

परंतु यह कि निक्षेपागार यह सुनिश्चित करेंगे कि शासी मंडल में आम तौर पर ऐसे निदेशक हों, जिनके पास ऊपर खंड (क) में निर्धारित की गई योग्यताएँ और अनुभव हो।"

IV. विनियम 24 के बाद और विनियम 25 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"निक्षेपागार के शासी मंडल में बोर्ड के नामिति (नॉमिनी)

24क. बोर्ड किसी निक्षेपागार के शासी मंडल में एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को निदेशक (निदेशकों) के रूप में नियुक्त कर सकेगा किंतु उनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी, और ऐसे निदेशक (निदेशकों) के पास भी वही ओहदा और अधिकार होंगे, जो शासी मंडल के अन्य निदेशकों के पास हों।"

V. विनियम 25 में,

- i. उप-विनियम (1) में, उप-विनियम (7) में, शब्दों "शेयरधारक निदेशकों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "गैर-स्वतंत्र निदेशकों" और शब्दों "शेयरधारक निदेशक" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "गैर-स्वतंत्र निदेशक" आ जाएंगे।
- ii. उप-विनियम (2) में, शब्दों "द्वारा नामित" के स्थान पर शब्द "की पूर्व मंजूरी से नियुक्त" आ जाएंगे।

- iii. उप-विनियम (3) में,
 - क. शब्द "नामित" के स्थान पर शब्द "नियुक्त" आ जाएगा।
 - ख. पहले परंतुक में, शब्द "नामित" के स्थान पर शब्द "बोर्ड की पूर्व मंजूरी से नियुक्त" आ जाएंगे।
 - ग. दूसरे परंतुक में, शब्द "नामित" के स्थान पर शब्द "नियुक्त" आ जाएगा और चिह्न "/" के स्थान पर शब्द "या" आ जाएगा।
- VI. विनियम 26 में, उप-विनियम (3) में, दूसरे परंतुक में, शब्दों तथा चिह्नों "कुल मिलाकर अधिकतम दो कार्यकालों (प्रत्येक पाँच वर्ष का)" के स्थान पर शब्द "अधिक से अधिक दस वर्षों की अवधि" आ जाएंगे।
- VII. विनियम 27 में,
 - शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक आ जाएगा, अर्थात्,
 "शासी मंडल, निदेशकों, सिमिति के सदस्यों और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों के लिए आचार-संहिता"
 - ii. उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
 - "(1) निक्षेपागार के शासी मंडल, निदेशक, समिति के सदस्य और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति इन विनियमों की तीसरी अनुसूची के भाग-ख में दी हुई आचार-संहिता का पालन करेंगे।"
 - iii. उप-विनियम (2) हट जाएगा।
 - iv. उप-विनियम (4) हट जाएगा।
- VIII. विनियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात,-

"कार्यों को अलग-अलग करना

- 29. (1) प्रत्येक निक्षेपागार अपने कार्यों की पहचान करेगा और ऐसी व्यवस्था करेगा कि उन्हें निम्नलिखित शाखाओं (वर्टिकल) में अलग-अलग बाँटा जाए:
 - (क) महत्त्वपूर्ण कामकाज;
 - (ख) विनियामक (रेग्यूलेटरी) कार्य, पालन संबंधी कार्य, जोखिम प्रबंधन संबधी कार्य और निवेशक शिकायतों से संबंधी कार्य; और
 - (ग) अन्य कार्य, जिसमें कारोबार के विकास से संबंधित कार्य भी शामिल हैं।
 - (2) ऊपर उप-विनियम (1) में दी हुई शाखाओं (वर्टिकल) के कार्यों का जिक्र इन विनियमों की चौथी अनुसूची में किया गया है।
 - (3) निक्षेपागार द्वारा संसाधनों के आबंटन के लिहाज से उप-विनियम (1) के खंड (क) और खंड (ख) में दी गई शाखाओं (वर्टिकल) के कार्यों को उप-विनियम (1) के खंड (ग) बताई गई शाखाओं (वर्टिकल) के कार्यों से ज्यादा तरजीह दी जाएगी।

- (4) प्रत्येक निक्षेपागार समय-समय पर और बारीकी से इस बात का आकलन करेगा कि क्या उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ख) में बताई गई पहली दो शाखाओं (वर्टिकल) के लिए पर्याप्त संसाधन आबंटित किए गए हैं।
- (5) प्रत्येक निक्षेपागार "चाइनीज़ वॉल" की नीति अपनाएगा, जो उप-विनियम (1) के खंड (ख) में बताई गई शाखाओं (वर्टिकल) के कार्यों को दूसरी शाखाओं (वर्टिकल) के कार्यों से अलग करती हो।
- (6) जिन कर्मचारियों का जिक्र उप-विनियम (5) में किया गया है, वे अपने कामकाज से संबंधित कोई भी जानकारी दूसरी शाखाओं (वर्टिकल) के किसी भी व्यक्ति को नहीं देंगे, और उन्हें दूसरी शाखाओं (वर्टिकल) के कर्मचारियों से अलग रखा जाए और साथ ही उनके प्रवेश पर नियंत्रण भी रहे:

परंतु यह कि असाधारण परिस्थितियों में, दूसरी शाखाओं (वर्टिकल) के कर्मचारियों को "जानने की आवश्यकता" के आधार पर गोपनीय जानकारी दी जा सकेगी, किंतु इस बात की जानकारी अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) को अवश्य दी जाए।"

IX. विनियम 30 में,

- उप-विनियम (1) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक "उप-विनियम (3)" से पहले दिए हुए, शब्द "और" के स्थान पर चिह्न "," आ जाएगा और शब्दों, चिह्नों तथा अंक "उप-विनियम (3)" के बाद शब्द, चिह्न तथा अंक "और उप-विनियम 3क" जोड़े जाएंगे।
- ii. उप-विनियम (2) के खंड (क) में, शब्दों तथा चिह्नों, "समिति;" के बाद शब्द "और" जोड़ा जाएगा।
- iii. उप-विनियम (2) में, खंड (ख) हट जाएगा।
- iv. उप-विनियम (3) में, खंड (ख) हट जाएगा।
- v. उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-"(3क) निवेश समिति।"
- vi. उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,"(4) उप-विनियम (2), (3) एवं उप-विनियम (3क) में जिन समितियों का जिक्र है, उनकी
 संरचना, उनका कोरम और उनके कार्य उसी प्रकार होंगे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर
 निर्धारित किया जाए।"
- X. विनियम 30 के बाद, और विनियम 31 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"शिकायत निवारण पैनल

30क. प्रत्येक निक्षेपागार के यहाँ निवेशकों के शिकायतों का निवारण करने के लिए शिकायत निवारण पैनल होगा (होंगे), जो उसी प्रकार काम करेगा (करेंगे) जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ।"

XI. विनियम 31 में, उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

- "(5) प्रत्येक निक्षेपागार आंतरिक स्तर पर अपने कार्य-निष्पादन का और कानूनी प्रावधानों के तहत बनी समितियों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक मूल्याँकन उसी प्रकार करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ।
- (6) प्रत्येक निक्षेपागार एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी को भी नियुक्त करेगा, ताकि वह उसके कार्य-निष्पादन का और कानूनी प्रावधानों के तहत बनी उसकी समितियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन उतने समय-अंतराल में और उसी प्रकार करे, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।
- (7) प्रत्येक निक्षेपागार अपने शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड) की उन बैठकों की कार्यसूची (एजेंडा) और कार्यवृत्त (मिनट्स) [ऐसे कार्यवृत्त के मंजूर होने के बाद] को अपने वेबसाइट पर डलवाएगा, जो विनियामक (रेग्यूलेटरी) कार्यों, पालन संबंधी कार्यों, जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्यों और निवेशक शिकायतों से संबंधित कार्यों से संबंधित हों।
- (8) यदि किसी निदेशक या प्रबंध-मंडल के किसी मुख्य व्यक्ति को निक्षेपागार में हो रही किसी गड़बड़ी की जानकारी हो या मिले, लेकिन वह शासी मंडल या बोर्ड को उसकी सूचना न दे, तो ऐसे में, उस व्यक्ति के खिलाफ इन विनियमों के तहत कार्रवाई (उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद) की जा सकेगी।"
- XII. विनियम 81 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 - "(3) अनुपालन अधिकारी अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम 1996, उनके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन), उनके तहत जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर) या निदेशों का पालन न किए जाने के संबंध में और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के संबंध में बोर्ड के पास तिमाही आधार पर उसी प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।"
- XIII. विनियम 81 के बाद, और विनियम 82 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

- **81क**. (1) प्रत्येक निक्षेपागार मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति करेगा, ताकि निक्षेपागार की कार्यप्रणाली से जुड़े जोखिमों की पहचान की जा सके, उन पर नज़र रखी जा सके और उन्हें कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
- (2) मुख्य जोखिम अधिकारी निक्षेपागार के समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा, और छमाही आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"
- XIV. विनियम 82 के बाद, और विनियम 83 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"जानकारी और डाटा साझा करने संबंधी नीति

- **82क.** (1) प्रत्येक निक्षेपागार और जिस कंपनी में निक्षेपागार ने निवेश किया हुआ हो, वह कंपनी डाटा (जिसमें गोपनीय और संवेदनशील डाटा भी शामिल है) को साझा करने और उस पर नज़र रखने के संबंध में एक ढाँचा निर्धारित करेगी:
 - (2) नीतिगत ढाँचे में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि:-
 - (क) डाटा किस तरह से और किस रूप में साझा किया जाएगा:
 - (ख) किस-किस प्रकार का डाटा साझा किया जा सकता है;
 - (ग) डाटा साझा करने के लिए किस-किस स्तर पर मंजूरी ली जाएगी;

- (घ) तकनीक पर आधारित एक ऐसा डिजिटल डाटाबेस रखा जाएगा, जिसमें इसका रिकॉर्ड रहे कि क्या-क्या जानकारी किस-किसके साथ साझा की गई और जानकारी साझा करने के क्या कारण थे;
- (ङ) तकनीक पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे कि साझा किए गए डाटा पर नज़र रखी जा सके, और साथ ही नीतिगत ढाँचे का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उसका ऑडिट भी किया जा सके; और
- (च) जवाबदेही की ऐसी व्यवस्था तय की जाएगी कि डाटा साझा करने संबंधी नीति का उल्लंघन होने पर किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा।"
- XV. अध्याय IX में, विनियम 84 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"जानकारी मंगाने की शक्ति

83क. बोर्ड समय-समय पर निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) या उसके शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड) या उसके किसी शेयरधारक या आवेदक से और निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स) से कोई जानकारी, दस्तावेज या रिकॉर्ड मंगा सकेगा।"

XVI. अध्याय IX के बाद और अध्याय X से पहले, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात,-

"अध्याय - IX-क

प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट)

निदेश जारी करने और शास्ति (पेनल्टी) लगाने की बोर्ड की शक्ति

- 91क. (1) बोर्ड, अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996) और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों के तहत इसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के साथ-साथ, या तो स्वयं से भी या कोई सूचना प्राप्त होने पर भी या फिर चल रहे किसी निरीक्षण, चल रही किसी जाँच या तहकीकात के दौरान भी अथवा उसके पूरा होने पर भी, जनहित में या व्यापार (ट्रेड) के हित में या निवेशकों के हित में या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे, जिनमें निम्नलिखित निदेश शामिल हैं किंतु जो इन तक ही सीमित नहीं हैं:-
 - (क) यदि किसी व्यक्ति के पास किसी निक्षेपागार के इक्विटी शेयर हों या इक्विटी शेयरों पर मिलने वाले अधिकार हों और ऐसा होने से इन विनियमों का उल्लंघन हो रहा हो, तो ऐसे में उसे उन्हें उस प्रकार बेचने का निदेश देना, जैसा निदेश में बताया जाए;
 - (ख) निक्षेपागार की निवेशक संरक्षण निधि में कोई पैसा या प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) जमा करवाने (ट्रांसफर) का निदेश जारी करना;
 - (ग) किसी निक्षेपागार को, ऐसे निक्षेपागार के किसी शेयरधारक को, या ऐसे शेयरधारक के किसी सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) और एजेंट को, या ऐसे शेयरधारक ने जिस व्यक्ति को शेयर अंतरित (ट्रांसफर) किए हों उस व्यक्ति को, या निक्षेपागार के किसी आवेदक (किन्हीं आवेदकों), किसी निदेशक (किन्हीं निदेशकों) और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को उतनी अवधि तक प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में पहुँच रखने से और/या

प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन करने से विवर्जित करना, जितनी अविध बोर्ड द्वारा तय की जाए।

- (2) बोर्ड निक्षेपागार, निदेशक, समिति के सदस्य, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, कर्मचारी अथवा निक्षेपागार से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ उस स्थिति में कार्रवाई कर सकेगा, जब उनके द्वारा इन विनियमों (जिनमें शामिल हैं इन विनियमों में निर्धारित की गई आचार-संहिता), अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम,1996, उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के प्रावधानों और बोर्ड द्वारा जारी किए गए किन्हीं परिपत्रों (सर्कुलर) या निदेशों का कोई उल्लंघन किया जाए या उल्लंघन करने को उकसाया जाए, और बोर्ड द्वारा इस प्रकार की जाने वाली कार्रवाई या तो कोई शिकायत आदि प्राप्त होने पर या फिर स्वयं से भी की जा सकेगी (जो भी बोर्ड ठीक समझे), और इस प्रकार की जाने वाली कार्रवाइयों में निम्नलिखित कार्रवाइयाँ शामिल हैं, किंतु जो निम्नलिखित कार्रवाइयों तक ही सीमित नहीं हैं:-
 - (क) निक्षेपागार को नए उत्पाद (प्रोडक्ट) लाने या नई सेवाएँ शुरू करने से रोकना और उसकी मौजूदा गतिविधियाँ (एक्टिविटी), उत्पादों (प्रोडक्ट) और सेवाओं पर पाबंदी लगाना।
 - (ख) निक्षेपागार, निदेशकों, समिति के सदस्यों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, कर्मचारियों अथवा निक्षेपागार से जुड़े किसी व्यक्ति पर ऐसी आर्थिक शास्ति (पेनल्टी) लगाना, जो बोर्ड द्वारा तय की जाए।
 - (ग) ऐसे किसी व्यक्ति पर निक्षेपागार की बैठकों में भाग लेने अथवा उनकी कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार से शामिल आदि होने पर पाबंदी लगाना।

स्पष्टीकरण – किसी भी प्रकार की कोई शंका न रहे, इसके लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उप-विनियम (2) के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने की जो शक्ति बोर्ड को प्रदान की गई है, उसका अर्थ यह नहीं है कि बोर्ड अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम,1996, और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा:

परंतु यह कि बोर्ड, खंड (क) एवं खंड (ख) के तहत कार्रवाई करते समय, जिन बातों पर पूरा-पूरा गौर करेगा, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं, किंतु जो निम्नलिखित में से किसी एक या सभी तक ही सीमित नहीं हैं:—

- (i) क्या इरादा दुर्भावनापूर्ण था; या
- (ii) क्या कुछ करने की वजह से या कुछ न करने की वजह से ऐसा हुआ था; या
- (iii) क्या लापरवाही बरती गई थी, या
- (iv) क्या निर्णय लेने में बार-बार गलती हो रही थी।
- (3) अधिनियम के तहत कितनी आर्थिक शास्ति (पेनल्टी) लगाई जाए, यह तय करते समय बोर्ड जिन बातों पर पूरा-पूरा गौर करेगा, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं, किंतु जो निम्नलिखित में से किसी एक या सभी तक ही सीमित नहीं हैं —

- (क) की गई चूक की वजह से बहुत ज्यादा या गलत तरीके से जो मुनाफा कमाया गया, उसकी रकम कितनी थी:
- (ख) की गई चूक की वजह से निक्षेपागार या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) को जो नुकसान हुआ उसकी रकम कितनी थी; और
- (ग) क्या चूक बार-बार की जा रही थी।"
- XVII. विनियम 94 हट जाएगा।
- XVIII. विनियम 95 हट जाएगा।
 - XIX. विनियम 96 के बाद और विनियम 97 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

- 96क. (1) बोर्ड या तो स्वयं से या फिर निक्षेपागार द्वारा आवेदन किए जाने पर, उन कारणों से जो रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएँ, इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में, कुछ शर्तों [जो बोर्ड प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने वाले निवेशकों और प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में लगाना ठीक समझे] के तहत छूट प्रदान कर सकेगा, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि:
 - (क) पालन ऐसे कारण से नहीं हो पाया, जो एंटिटी के नियंत्रण से बाहर था; या
 - (ख) वह अपेक्षा प्रक्रिया संबंधी या तकनीकी अपेक्षा जैसी है।
- (2) उप-विनियम (1) में जिस आवेदन का जिक्र किया गया है, वह आवेदन करते समय निक्षेपागार एक लाख रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) फीस अदा करेगा, जो एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए या ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके अथवा किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।"

XX. दूसरी अनुसूची में, भाग-ग में,

i. खंड (I) में, उप-खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"निक्षेपागार बोर्ड को, निदेशक के नामों की सिफारिश करते समय, बोर्ड के पास उपरोक्त ब्यौरे भेजेगा, और उनके साथ शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड) की बैठक (जिसमें नाम मंजूर किए गए) के कार्यवृत्त, शेयरधारकों के संकल्प (रेज़ोल्यूशन) [जहाँ कहीं लागू हो] की प्रति और निक्षेपागार की ओर से इस बात का पृष्टीकरण भेजेगा कि इन विनियमों में निर्धारित मानदंड के अनुसार वे उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं, और वे इन विनियमों के विनियम (2)(1)(ग) के साथ पठित विनियम 24(9) के अनुसार किसी निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट), ट्रेडिंग मेंबर (व्यापारिक सदस्य) या समाशोधन सदस्य के सहयोगी नहीं हैं और विनियम 24(14) में निर्धारित की गई अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है।"

- ii. खंड (III) में,
 - क. उप-खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

- "(1) निक्षेपागार के शासी मंडल की मंजूरी के बाद, लोक हित निदेशकों के नाम बोर्ड को भेजे जाएंगे। इस संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। लोक हित निदेशकों के पदों के रिक्त होने से दो महीने पहले, ऐसे प्रत्येक रिक्त पद के लिए बोर्ड को कम से कम दो नाम भेजे जाएंगे।"
- ख. उप-खंड (2) में, मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद आ जाएगी, अर्थात्,-"(क) योग्यता (अर्हता), जैसा विनियम 24 (14) में निर्धारित किया गया हो।"
- ग. उप-खंड (2) में, मद (ख) हट जाएगी।
- घ. उप-खंड (3) में, शब्दों और चिह्न "निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) नव-नियुक्त लोक हित निदेशकों के लिए परिचय-कार्यक्रम आयोजित कर सकेगा और प्रत्येक लोक हित निदेशक के लिए वार्षिक प्रशिक्षण भी आयोजित कर सकेगा।" हटा दिए जाएँगे।
- ङ. उप-खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएँगे, अर्थात,-
 - "(4) लोक हित निदेशक को फिर से नियुक्त करने के मामले में, निक्षेपागार लोक हित निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने से चार महीने पहले बोर्ड के पास आवेदन करेगा। यहाँ निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के साथ-साथ, लोक हित निदेशक को फिर से नियुक्त करने के लिए दिए जाने वाले आवेदन के साथ विभिन्न अनिवार्य समितियों की बैठकों में और निक्षेपागार के शासी मंडल में उसकी उपस्थिति के ब्यौरे दिए जाएंगे, उसके कार्य-निष्पादन की समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी तथा कार्यकाल बढ़ाए जाने के कारण भी बताए जाएंगे।"
- च. उप-खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएँगे, अर्थात्,-
 - "(5) यदि शासी मंडल अपनी संरचना संबंधी जरूरी विनियामक अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, तो ऐसे में मौजूदा लोक हित निदेशक अपने कार्यकाल की अविध समाप्त होने की तारीख से अधिक से अधिक तीन महीने की अविध तक या जब तक उसके स्थान पर नए लोक हित निदेशक की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक (जो भी जल्दी हो) अपने पद पर बना रहेगा।"

iii. खंड (IV) में,

- क. शीर्षक में, शब्दों "शेयरधारक निदेशकों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "गैर-स्वतंत्र निदेशकों" आ जाएँगे।
- ख. उप-खंड (1) में, शब्दों "शेयरधारक निदेशकों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "गैर-स्वतंत्र निदेशकों" आ जाएँगे।
- ग. उप-खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात,-
 - "(2) गैर-स्वतंत्र निदेशकों के चयन, उनकी नियुक्ति, उनके कार्यकाल, त्यागपत्र, उनके पद खाली होने, आदि के संबंध में, जिन प्रक्रियाओं का इन विनियमों या अधिनियम और इनके तहत जारी किए गए परिपत्रों में खास तौर पर उल्लेख किया गया है उन्हें छोडकर, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शेयरधारक निदेशकों के मामले में अपनाई जाती है।"

iv. खंड (V) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात,-

"(VI) निक्षेपागार सभी निदेशकों को प्रत्येक वर्ष कम से कम सात दिन का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ।"

XXI. दूसरी अनुसूची में, भाग-घ में,

- i. खंड 1(क) में, शब्दों और चिह्न "एक-तिहाई से अधिक नहीं होगा" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न "कुल वेतन के 25% से 50% के बीच होगा" आ जाएंगे।
- ii. खंड 1(ख) में, शब्दों "तीन वर्षों" के बाद और शब्दों "के बाद" से पहले, शब्द "की न्यूनतम अवधि" जोड़े जाएंगे।

XXII. तीसरी अनुसूची में,

i. भाग-ख के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात,-

"भाग- ख

[विनियम 27 देखें]

शासी मंडल, निदेशकों, समिति के सदस्यों और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों के लिए आचार-संहिता

I. शासी मंडल

निक्षेपागार का शासी मंडल –

- (क) इसका मूल्याकंन करेगा कि निक्षेपागारों को कितना प्रतिशत मुनाफा हो रहा है।
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि विनियामक प्रावधानों के पालन संबंधी कार्यों हेतु संसाधनों (पैसे और कर्मचारियों दोनों) का पर्याप्त आबंटन किया जाए।
- (ग) कार्यनीति से संबंधित मुद्दों, नीतिगत मुद्दों और महत्त्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दैनंदिन कामकाज संबंधी मामलों की समीक्षा करेगा।
- (घ) निक्षेपागार के महत्त्वपूर्ण तकनीकी कार्यों के साथ-साथ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों पर नज़र रखेगा, जिनमें शामिल हैं विनियामक कार्य, जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्य, पालन संबंधी कार्य और निवेशक शिकायत निवारण संबंधी कार्य।
- (ङ) प्रबंध निदेशक और दूसरे मुख्य पदों के खाली होने से पहले ही उन्हें भरने के संबंध में योजना बनाने में भूमिका निभाएगा।
- (च) निक्षेपागार का जोखिम प्रबंधन संबंधी ढांचा (जिसमें जोखिम उठाने की क्षमता से संबंधित नीति बनाना शामिल है) निर्धारित करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उस नीति में निम्नलिखित भी शामिल हो:
 - i. मुख्य-मुख्य प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक कितना जोखिम लिया जा सकता है।
 - निक्षेपागार ने निर्धारित की गई नीति के अनुसार जोखिम उठाया या नहीं इसका आकलन करने का पैमाना क्या होगा।
 - iii. यदि निर्धारित की गई सीमा से अधिक जोखिम उठाया गया हो तो किस सीमा तक उठाया गया जोखिम स्वीकार्य होगा और उसे फिर निर्धारित सीमा तक लाने के लिए क्या कदम उठाए जाएँगे।
 - iv. साइबर सुरक्षा, प्रणाली (सिस्टम) की स्थिरता, निगरानी, निष्पक्ष पहुँच प्रदान करने,धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, पालन आदि जैसे क्षेत्रों के संबंध में कोई चूक स्वीकार्य नहीं होगी।

- (छ) प्रमुख हितधारकों (फिर चाहे वे कार्यपालक हों या न हों) को इस बात से अवगत कराएगा कि पूरे संगठन की जोखिम वहन करने की क्षमता का उपयोग क्या है और वह कितना महत्त्पूर्ण है (जिसमें यह बताना भी शामिल हैं कि उल्लंघनों का क्या असर पड़ सकता है), और समय-समय पर जोखिम वहन करने की क्षमता को मापने हेतु इस्तेमाल में लाए जाने वाले मैट्रिक्स और उसके उच्चतम स्तर की समीक्षा करेगा और उसके संबंध में मंजूरी प्रदान करेगा।
- (ज) यह सुनिश्चित करेगा कि मुख्य-मुख्य कार्य, जैसे विनियामक और नियंत्रण संबंधी कार्य (जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और लेखा परीक्षा संबंधी कार्य), स्वतंत्र रूप से किए जा रहे हैं, जैसे कि:
 - विनियामक एवं नियंत्रण संबंधी कार्यों को पर्याप्त महत्त्व दिया जाए, ताकि ये कार्य प्रभावी रूप से हो सकें।
 - ii. विनियामक और नियंत्रण संबंधी कार्य पूरी तरह से अलग-अलग किए जाएँ और दोनों के संबंध में निक्षेपागार के शासी मंडल और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल तक पर्याप्त रूप से सीधी पहुँच हों।
 - iii. सभी महत्त्वपूर्ण निर्णयों और क्रियाकलापों में नियंत्रण संबंधी कार्यों की सक्रिय रूप से भागीदारी रहे।
- (झ) तीन स्तरीय जाँच-बिंदु का प्रावधान करेगा, जहाँ:
 - पहले स्तर में शामिल हैं कारोबार की यूनिटें और सहायक कार्य क्योंकि दैनंदिन कामकाज से जुड़े जोखिम इनसे संबंधित होते हैं और उनका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है।
 - दूसरे स्तर में शामिल हैं निगरानी संबंधी विभिन्न कार्य, जैसे विनियामक कार्य,
 जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्य. पालन संबंधी कार्य करने वाले दल. और
 - iii. तीसरे स्तर में शामिल है आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी कार्य।
- (ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा के तीनों स्तर के संबंध में प्रबंध-मंडल की भूमिका और जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया जाए और यह भी साफ तौर पर तय कर दिया जाए कि विनियामक कार्यों, जोखिम प्रंबधन संबंधी कार्यों और पालन संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी किन-किन कर्मचारियों पर होगी।
- (ट) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा माहौल तैयार हो कि सभी खुलकर अपनी बात कह सकें और अपने भिन्न-भिन्न विचार भी रख सकें (अर्थात् व्यक्तियों और समूहों को अपने भिन्न-भिन्न विचार रखने व प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा), और साथ ही उनके द्वारा रखे गए विचारों का सम्मान भी किया जाए।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि सामान्य कामकाज से जुड़े मुद्दों के अलावा किसी नए उत्पाद, नई सेवा, आमदनी के नए साधन को मंजूरी प्रदान करने से पहले निक्षेपागार के संबंधित विभाग द्वारा पालन की दृष्टि से और जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से उसकी जाँच-पड़ताल की जाए।
- (इ) सभी मौजूदा उत्पादों, सेवाओं और आमदनी के साधनों की समय-समय पर समीक्षा करेगा।
- (ढ) निक्षेपागार से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, निक्षेपागार के प्रबंध निदेशक और किसी दूसरे कार्यपालक निदेशक, मुख्य विनियामक अधिकारी या अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, कानूनी लेखापरीक्षक और किसी अन्य व्यक्ति (जिसे लोक हित निदेशक और गैर-स्वतंत्र निदेशक शामिल न करना चाहे) की अनुपस्थिति में समय-समय पर (जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए) बैठक करेगा।

- (ण) समय-समय पर इसकी समीक्षा करेगा कि शासी मंडल और कानूनी प्रावधानों के तहत बनी सिमितियों की बैठक कितने-कितने अंतराल पर होती हैं और उन बैठकों की कार्यसूचियों की मद क्या-क्या हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त बैठकें आयोजित की जा रही हैं और उनमें सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही हैं।
- (त) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यसूची के संबंध में शासी मंडल के अध्यक्ष से मंजूरी ली जाए।
- (थ) यह सुनिश्चित करेगा कि शासी मंडल की बैठक के दौरान उसके सदस्य कार्यसूची की मद प्रस्तुत कर सकें।
- (द) इस बात पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा कि निक्षेपागार के निदेशकों द्वारा आचार-संहिता का पालन किया जा रहा है या नहीं।
- (ध) निक्षेपागार में शीर्ष पदाधिकारियों सहित सभी के लिए एक बेहतरीन कार्यपद्धित का माहौल तैयार करेगा, फिर चाहे आचरण की बात हो, रवैये की बात हो, या किसी तक अपनी बात पहुँचाने की बात हो।
- (न) यह सूचित करेगा कि संस्था के लक्ष्यों, विनियामक कार्यों, पालन संबंधी कार्यों, जोखिम प्रबंधन और कामकाज के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होंगे।
- प) यह प्रयास करेगा कि निक्षेपागार:
 - पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें, तािक कर्मचारी यह जान सकें कि उनका आचरण कैसा रहे (उदाहरण के लिए - इस संबंध में प्रशिक्षण कि उलझन की स्थिति में वे क्या करें);
 - बंहतरीन कार्यपद्धित का जो माहौल बनाया गया है और उनके संबंध में जो दिशानिर्देश जारी किए गए हैं उनके पालन को नियमित अंतराल पर आँकने की व्यवस्था करें;
 - iii. ऐसी व्यवस्थाएँ करें जिससे जवाबदेही तय की जा सके; और
 - iv. ऐसी व्यवस्थाएँ करें जिससे कि कार्य-निष्पादन का आकलन करते समय इसका आकलन भी किया जाए कि बेहतरीन कार्यपद्धित का जो माहौल तैयार किया गया है उसके अनुसार कार्य किया गया या नहीं।
- II. निदेशकों, समिति के सदस्यों और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजमेंट पर्सोनल) के लिए आचार-संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)
- क. निक्षेपागार के निदेशकों, उनकी समिति के सदस्यों और उनके प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजमेंट पर्सोनल) पर लागू:

1. सामान्य जिम्मेदारी

निक्षेपागारों का प्रत्येक निदेशक, उसकी समिति का प्रत्येक सदस्य और उनके प्रबंध-मंडल का प्रत्येक मुख्य व्यक्ति -

- (क) निक्षेपागारों से जुड़े मुद्दों का पेशेवर, निष्पक्ष, कुशल और प्रभावी तरीके से विश्लेषण करने और उनका समाधान करने का प्रयास करेगा:
- (ख) सभी जरूरी जानकारी प्रकट करेगा, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में धारिताओं (होल्डिंग), उनमें किए गए लेनदेन (डीलिंग) के विवरण प्रस्तुत करेगा, जैसी निक्षेपागारों द्वारा उनके नियमों,

- उनकी उप-विधियों (बाय-लॉज़) या संगम-अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन) के अनुसार समय-समय पर अपेक्षा की जाए;
- (ग) जब तक कि कानूनी प्रावधानों द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, गोपनीयता बनाए रखेगा और अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्राप्त किसी जानकारी को प्रकट नहीं करेगा और ऐसी किसी भी जानकारी का इस्तेमाल निजी फायदों के लिए नहीं करेगा;
- (घ) जनता का विश्वास जीतने के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सत्यनिष्ठा, सत्यता, ईमानदारी और दृढ़ता के उच्चतम स्तर बनाए रखेगा, और ऐसे कार्यों में लिप्त नहीं होगा जिससे उनकी जिम्मेदारियों पर कोई सवाल खड़ा हो;
- (ङ) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसे क्रियाकलापों से बचेगा जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता या पद से संबंधित कर्तव्यों को क्षति पहुँचा सकते हों, या जो क्षति पहुँचाने वाले प्रतीत होते हों;
- (च) सकारात्मक रुख के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और खुल कर अपनी बात कहने, सुजनात्मकता, समर्पण और सहानुभृति का सकारात्मक रूप से समर्थन करेगा;
- (छ) ऐसे किसी कार्य में लिप्त नहीं होगा जिसमें नैतिक अधमता, बेईमानी, धोखाधड़ी, छल, या गलतबयानी शामिल हो अथवा ऐसे किसी अन्य कार्य में लिप्त नहीं होगा जो निक्षेपागार के कामकाज के प्रतिकूल हो;
- (ज) नैतिकता संबंधी जिम्मेदारियों की जानकारी और समझ को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेगा;
- (झ) अपने कारबार के संचालन में, उच्च स्तर के वाणिज्यिक मानकों (कमर्शियल ओनर) को बनाए रखेगा और ट्रेडिंग (व्यापार) के न्यायसंगत तथा निष्पक्ष सिद्धांतों का पालन करेगा;
- (ञ) कारबार में अपना ऐसा अनुकरणीय आचरण रखेगा, जो दूसरों के लिए मानक तय करे;
- (ट) निक्षेपागार के कार्यपालक या प्रशासनिक स्टाफ, निक्षेपागार के प्रौद्योगिकी या सेवा प्रदाताओं तथा विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर्स);
- (ठ) ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे निक्षेपागार की प्रतिष्ठा को नुकसान हो;
- (ड) प्रतिभूति बाजार से संबंधित सभी लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करेगा;
- (ढ) निदेशक और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति हर समय निक्षेपागार की आंतरिक नीतियों (जिसमें उनकी आचार-संहिता भी शामिल है) का पालन करेंगे । यदि आचार-संहिता के संबंध में निक्षेपागार द्वारा निर्धारित की गई नीति और बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई नीति में कोई फर्क हो, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा जारी की गई नीति मान्य होगी।

2. विनियामक अपेक्षाओं का पालन

- निक्षेपागारों का प्रत्येक निदेशक, उनकी समिति का प्रत्येक सदस्य और उनके प्रबंध-मंडल का प्रत्येक मख्य व्यक्ति -
- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम, 1996, उनके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के समस्त लागू प्रावधानों का और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स), दिशानिर्देशों या किन्हीं अन्य निदेशों का पालन करे;

- (ख) सभी स्तरों पर पालन सुनिश्चित करेगा, ताकि विनियामक व्यवस्था का कोई उल्लंघन न हो;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि सुधारात्मक कार्रवाई करने के संबंध में निक्षेपागार के स्तर पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर ही कदम उठाए जाएँ।

3. फायदाप्रद हित का प्रकटीकरण

सभी निदेशक, समिति के सभी सदस्य और प्रबंध-मंडल के सभी मुख्य व्यक्ति पद संभालने पर और अपने कार्यकाल के दौरान निक्षेपागार के शासी मंडल को निम्नलिखित जानकारी प्रकट करेंगे:-

- (क) यह कि किसी व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेंबर) या समाशोधन सदस्य या निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) या रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता के साथ उनका तथा उनके परिवार के सदस्यों का किस प्रकार का वैश्वासिक संबंध है और उनमें उन्होंने तथा उनके परिवार के सदस्यों ने कौन-कौन सा निदेशक पद धारण किया हुआ है या उनमें उनकी तथा उनके परिवार के सदस्यों की भागीदारी कितनी है;
- (ख) उन मामलों में अपनी शेयरधारिता के ब्यौरे, जहाँ निदेशक या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों की शेयरधारिता, प्रत्यक्ष रूप से या उनके परिवार के माध्यम से, किसी सूचीबद्ध कंपनी में या प्रतिभृति बाजारों से संबंधित अन्य एंटिटियों में 5 प्रतिशत से अधिक हो जाए;
- (ग) कोई अन्य कारोबारी हित।

4. जानकारी तक पहुँच

- (क) जानकारी का आदान-प्रदान करने के माध्यम निर्धारित किए जाएंगे और इसके अतिरिक्त उसके पूरे पिछले ब्यौरे भी रखे जाएंगे (उसका ऑडिट-ट्रेल भी रखा जाएगा) । गोपनीय दस्तावेज या जानकारी फिर से लेने पर उसे उचित ढंग से रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा ।
- (ख) ऐसी समस्त जानकारी (विशेष रूप से जो आम जनता को प्रकट न की गई हो और जो कीमत संवेदनशील हो) गोपनीय रखी जाएगी और उसका इस्तेमाल किसी निजी प्रतिफल (कन्सिडरेशन) या लाभ के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (ग) निक्षेपागार के कारोबार या कामकाज से संबंधित कोई जानकारी, जो निदेशकों या सिमिति के सदस्यों या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों को, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान पता चले, पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, किसी पर-व्यक्ति (थर्ड पार्टी) को प्रकट नहीं की जाएगी और जिसका इस्तेमाल वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के सिवाय किसी भी अन्य प्रकार से नहीं करेंगे।
- (घ) निदेशक केवल विशिष्ट समितियों के सदस्य के तौर पर जानकारी मगांएंगे अथवा उस रूप में जानकारी मंगाएंगे जैसा निक्षेपागार शासी मंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाए ।

5. पद का दुरुपयोग

निदेशक या समिति के सदस्य या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति अपने पद का इस्तेमाल स्वयं के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए संगठन में कारोबार संबंधी या कोई धन-संबंधी फायदा प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं करेंगे।

ख. निदेशक और समिति के सदस्यों पर लागू

1. बैठकें एवं कार्यवृत्त

निक्षेपागार के निदेशक और उनकी समिति के सदस्य —

- (क) ऐसे किसी विषय के संबंध में होने वाली चर्चा में भाग नहीं लेंगे, जिसमें कोई हित-विरोध हो या सामने आए (फिर चाहे वह धन संबंधी हो या कोई और), और ऐसे मामलों में हित-विरोध की जानकारी प्रकट की जाएगी तथा बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज की जाएगी;
- (ख) बैठक के दौरान कार्यसूची (एजेंडा) के कागज़ातों के परिचालन को तब तक प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जब तक कि परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना जरूरी न हो;
- (ग) यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यवृत्त में सभी की राय विस्तार से रिकॉर्ड की जाएँ;
- (घ) प्रारूप कार्यवृत्त (ड्राफ्ट मिनट्स) पर अपनी टिप्पणियाँ देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें अंतिम कार्यवृत्त में शामिल कर लिया जाए;
- (ङ) पिछली बैठक के कार्यवृत्त को आगामी बैठक में मंजूरी हेतु रखे जाने पर जोर देंगे;
- (च) यह प्रयास करेंगे कि शासी मंडल की प्रत्येक बैठक और समितियों की प्रत्येक बैठक में, क्रमश: शासी मंडल और समितियों के अन्य सदस्यों के परामर्श से, अगली बैठक की तारीख तय हो जाए;
- (छ) यह सुनिश्चित करेंगे कि निक्षेपागार के शासी मंडल और उनकी समितियों के समक्ष रखी गई कार्यसूची के अनुसार सभी अहम मुद्दों पर समय रहते विचार-विमर्श कर लिया जाए;
- (ज) निक्षेपागार के शासी मंडल और समितियों की बैठक में किसी ऐसे निर्णय का समर्थन नहीं करेंगे, जो निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो और ऐसे किसी भी ऐसे निर्णय के बारे में बोर्ड को तुरंत सूचित करेंगे।

2. निक्षेपागार की दैनंदिन कार्यप्रणाली में निदेशकों और समिति के सदस्यों की भूमिका

- (क) निदेशक और समिति के सदस्य निक्षेपागारों की दैनंदिन कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपनी भूमिका को नीतिगत मुद्दों तथा उन मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने तक सीमित रखेंगे, जो निक्षेपागार का शासी मंडल तय करे।
- (ख) निदेशक और समिति के सदस्य अपने रोजमर्रा के कार्यों के संबंध में निक्षेपागारों के कर्मचारियों पर अपना प्रभाव नहीं डालेंगे।
- (ग) निदेशक और समिति के सदस्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में प्रत्यक्ष रूप से तब तक शामिल नहीं होंगे, जब तक कि निक्षेपागार के शासी मंडल द्वारा विशेष रूप से ऐसा करने के लिए न कहा जाए।

3. हित-विरोध से बचना

- (क) निक्षेपागार का कोई भी निदेशक या उसकी सिमिति का कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति या मामले के संबंध में कोई निर्णय लिए जाने या किसी न्यायनिर्णयन (अड्जूडिकेशन) की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, जिससे उसका, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह का कोई संबंध हो या कोई हित जुड़ा हुआ हो।
- (ख) किसी मामले में कोई हित-विरोध है या नहीं, इसका निर्णय निक्षेपागार के शासी मंडल द्वारा किया जाएगा।

4. नीतिगत योजना बनाना

निक्षेपागार का प्रत्येक निदेशक और उसकी समित का प्रत्येक सदस्य —

- (क) निक्षेपागार के सर्वोत्तम हित में नीतियाँ (स्ट्रेटजी) बनाने और उन्हें अमल में लाने की प्रक्रिया में भाग लेगा तथा शासी मंडल के स्तर पर अग्र-सक्रिय रूप से निर्णय लिए जाने में योगदान देगा;
- (ख) निक्षेपागार को अपने अनुभव और अपनी विशेषज्ञता से फायदा पहुँचाएगा और नीतिगत योजना बनाने में तथा निर्णय लेने में मदद करेगा;
- (ग) निवेशकों की शिकायतें दूर करने को प्राथमिकता देगा और ट्रेडिंग की निष्पक्ष पद्धतियों को अपनाने पर जोर देगा, ताकि निक्षेपागार प्रतिभूति बाजार के विकास को गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभा पाएँ।

5. निक्षेपागार के निदेशकों द्वारा प्रतिभृतियों में होने वाले लेनदेन के ब्यौरे प्रकट करना

- (क) निदेशकों और उनके सीधे नातेदारों [जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में परिभाषित किया गया है] द्वारा प्रतिभूतियों में किए जाने वाले समस्त लेनदेन के ब्यौरे निक्षेपागार के शासी मंडल को प्रकट किए जाएंगे।
- (ख) सभी निदेशक उन फर्मों या कारपोरेट एंटिटियों द्वारा की गई ट्रेडिंग के ब्यौरे भी निक्षेपागार के यहाँ प्रकट करेंगे, जिनमें उनका बीस प्रतिशत या उससे अधिक का फायदाप्रद हित (बेनिफिशियल इंटरेस्ट) हो अथवा जिनमें उनका नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) हो ।
- (ग) उपरोक्तानुसार क्या-क्या ब्यौरे कितने–िकतने समय के भीतर प्रकट किए जाएंगे, इसका निर्धारण निक्षेपागार द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि इस प्रकार ब्यौरे प्रकट करने के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा लेनदेन आदि किए जाने से पंद्रह दिनों से अधिक की न हो।
- (घ) उन निदेशकों को इस अपेक्षा से छूट होगी, जो भारत सरकार द्वारा नामित अथवा उसके कानूनी निकायों (स्टैटयूटरी बॉडी) या सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा नामित हों और जो अपनी स्वयं की संहिताओं द्वारा विनियमित हों।

ग. लोक हित निदेशकों के लिए लागू

- (क) निक्षेपागार के लोक हित निदेशक शासी मंडल की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे और यिद वे शासी मंडल की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं या फिर एक कलैंडर वर्ष में शासी मंडल की कुल बैठकों के पचहत्तर प्रतिशत बैठकों में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा।
- (ख) लोक हित निदेशक, छह महीनों में कम से कम एक बार, महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए अलग से बैठक करेंगे। लोक हित निदेशक ऐसी बैठक की रिपोर्ट बोर्ड और निक्षेपागार के शासी मंडल के पास उस समयाविध के भीतर और उसी प्रकार प्रस्तुत करेंगे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।
- (ग) लोक हित निदेशक ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलों की पहचान करेंगे जिनमें निक्षेपागार के हित विरोध शामिल हो सकते हैं, या जिनसे निक्षेपागार की कार्यप्रणाली पर खासा असर पड़ सकता हो, अथवा जो प्रतिभूति बाजार के हित में न हों। बोर्ड को समयबद्ध रूप से इसकी रिपोर्ट की जाएगी।
- (घ) लोक हित निदेशक बोर्ड द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद दिए गए अभिमतों पर (खासकर संचालन संबंधी मानदंडों, तकनीक और साइबर सुरक्षा और सिस्टम की लेखापरीक्षा (सिस्टम

- ऑडिट) और साइबर सुरक्षा की लेखापरीक्षा के बाद दिए गए संबंधी अभिमतों पर) नियमित रूप से नजर रखेंगे ।
- (ङ) लोक हित निदेशक निक्षेपागारों की कार्यप्रणाली से संबंधित किन्हीं समस्याओं को अग्रसिक्रय रूप से समझेंगे और बोर्ड को उसकी रिपोर्ट करेंगे। लोक हित निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड की ओर से प्राप्त सभी पत्रादि के साथ-साथ उनके संबंध में प्रबंध निदेशक से प्राप्त टिप्पणियों/रिपोर्ट को शासी मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया लाए।
- (च) लोक हित निदेशकों हेतु निर्धारित किए गए मूल्यांकन संबंधी दिशनिर्देशों की तर्ज पर लोक हित निदेशक मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था निर्धारित करेंगे जिससे कि प्रबंध निदेशकों के कार्य निष्पादन का सतत आधार पर मूल्यांकन किया जा सके।
- (छ) लोक हित निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रबंध निदेशक की नियुक्ति निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर की जाए। इस पर पूरी नज़र रखी जाए कि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति का निर्धारण किया जा रहा है या नहीं और यदि, ऐसा न किया जा रहा हो, तो उसकी सूचना बोर्ड को दी जाए।
- (ज) लोक हित निदेशक विभिन्न समितियों की चर्चाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे और उनके कामकाज का संचालन करेंगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेंगे कि विनियमों आदि का पालन सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों (पैसे और कर्मचारियों दोनों) का पर्याप्त आबंटन किया जाए।

घ. बाहरी स्वतंत्र पेशेवर व्यक्तियों के लिए लागू

(क) बाहरी स्वतंत्र पेशेवर व्यक्ति उस संवेदनशील जानकारी का उपयोग अनुचित तरीके से फायदा पाने के लिए नहीं करेंगे, जो उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत बनी समिति के सदस्य के तौर पर मिली हो।

ङ. प्रबंध मंडल के मुख्य व्यक्तियों के लिए लागू

- (क) निक्षेपागार का प्रबंध निदेशक निक्षेपागार से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कर्मचारियों के साथ प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (विभागों के प्रमुख) की अनुपस्थिति में बैठक करेगा।
- (ख) निक्षेपागार के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति समय-समय पर [जैसा निक्षेपागार द्वारा तय किया जाए (जैसे मासिक आधार पर)], प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, िकए जाने वाले अपने समस्त लेनदेन (डीलिंग) के ब्यौरे, निक्षेपागार के शासी मंडल या उनकी विनियामक निगरानी समिति [विनियमों (रेग्यूलेशन) आदि के पालन पर नज़र रखने हेतु गठित समिति] या अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- (ग) समस्त लेनदेन निवेश करने के उद्देश्य से ही किए जाएँ न कि सट्टेबाजी करने के उद्देश्य से। इसके लिए, खरीदी गई समस्त प्रतिभूतियों को बेचने से पहले उन्हें कम से कम साठ दिनों की अवधि तक अवश्य रखना होगा। हालाँकि, विशेष या असाधारण परिस्थितियों में, प्रतिभूतियों को किसी भी समय बेचा जा सकता है, जिसके लिए इस शर्त से छूट प्राप्त करने हेतु अनुपालन अधिकारी की मंजूरी पहले ही लेनी होगी और यह लिखित रूप में रिकॉर्ड करना होगा कि इस संबंध में अनुपालन अधिकारी भी संतुष्ट है।

स्पष्टीकरण - इस संहिता के प्रयोजनार्थ "प्रतिभूतियों" (सिक्यूरिटीज़) के अंतर्गत म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) की यूनिटें शामिल नहीं होंगी।"

- ii. भाग-ग हट जाएगा।
- iii. भाग-घ के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थातु,-

"भाग-घ

[विनियम 17 देखें]

निक्षेपागार के लिए आचार-संहिता

निक्षेपागार :

- (क) अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम, 1996, उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों, बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए परिपत्रों (सर्कुलर), दिशानिर्देशों और किन्हीं अन्य निदेशों का हमेशा पालन करेंगे।
- (ख) पूरी तत्परता बरते जाने के संबंध में उपयुक्त कदम उठाएंगे ।
- (ग) जोखिम प्रबंधन का ढांचा निर्धारित करने और संचालन (गवर्नेंस) की बेहतर पद्धतियाँ सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाएंगे।
- (घ) निवेशकों के संरक्षण और शिक्षण की दिशा में उपयुक्त कदम उठाएंगे।
- (ङ) अपने सभी आवेदकों या सदस्यों (मेंबर्स) के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी रवैया अपनाएँगे ।
- (च) अपने किन्हीं सदस्यों या किसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम, 1996, नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), परिपत्रों (सर्कुलर्स) के प्रावधानों, दिशानिर्देशों या किन्हीं अन्य निदेशों के उल्लंघन की सूचना बोर्ड को तुरंत देंगे।
- (छ) निवेशकों के हितों, निक्षेपागार की प्रणाली और प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) की सत्यनिष्ठा की सुरक्षा की दिशा में सक्रिय होकर पूरी-पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे।
- (ज) अपने और अपने सदस्यों के यहाँ कारोबार की सर्वोत्तम पद्धतियाँ लागू करने के प्रयास करेंगे ।
- (झ) भरसक सद्भावपूर्वक कार्य करेंगे और अपने कार्य-संचालन के दौरान हित-विरोध से बचेंगे ।
- (ञ) ऐसी अनुचित प्रतिस्पर्धा में लिप्त नहीं होंगे, जिससे किसी दूसरे निक्षेपागार, उनके सदस्यों या निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचने की आंशका हो या जिससे इस बात की आशंका हो कि किसी कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय या उस कार्य को करते समय उन्हें कोई नुकसान हो जाए।
- (ट) इसे स्पष्ट रूप से रेखार्कित करेंगे कि प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों की निक्षेपागार के भीतर क्या भूमिका होगी और वे क्या-क्या जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, जिनमें शामिल हैं
 - a. यह साफ-साफ दर्शाना कि किस पद के कानूनी और विनियामक कर्तव्य क्या होंगे।
 - b. यह साफ-साफ दर्शाना कि प्रत्येक पद को क्या शक्तियाँ सौंपी गई हैं।
 - c. यह साफ-साफ दर्शाना कि मुख्य कामकाज करने वाले और सहायक कार्य करने वाले दल विनियामक, जोखिम प्रबंधन और पालन संबंधी कौन-कौन से कार्य करेंगे।
- (ठ) अपने कारोबार के संचालन के संबंध में अपने कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए या उनके द्वारा कार्य नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

- (ड) इस बात पर नज़र रखेंगे कि सदस्यों द्वारा नियमों और विनियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, और साथी ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे इस प्रकार कार्य करें जिससे कि निवेशकों के हित और प्रतिभूति बाजार पर आँच न आए।
- XXIII. चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची आ जाएगी, अर्थात्,-:

"चौथी अनुसूची

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018

विनियम 2(ट)(iii) देखें

निक्षेपागार के मुख्य कार्य

- 1. निक्षेपागारों के मुख्य और महत्त्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु जो इन तक ही सीमित नहीं होंगे:
 - क. शाखा-1: महत्त्वपूर्ण कामकाज
 - प्रतिभूतियों को डीमैट रूप देने का प्रावधान करना (जिसमें शामिल है ऐसी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में रखने और अंतरित करने का प्रावधान करना);
 - ii. प्रतिभूतियों को डीमैट रूप देने से संबंधित रिकॉर्ड रखना;
 - iii. मुख्य और महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए सूचना प्रौद्यौगिकी संबंधी बुनियादी ढाँचा;
 - iv. सतत कारोबार योजना और आपदा राहत संबंधी कार्य करना;
 - v. साइबर सुरक्षा और साइबर आघात सहने हेतु ढाँचा;
 - ख. शाखा-2: विनियामक (रेग्यूलेटरी), पालन संबंधी, जोखिम प्रबंधन और निवेशकों की शिकायतों से संबंधित कार्य
 - i. जोखिम प्रबंधन (रिस्क मैनेजमेंट);
 - ii. निगरानी एवं तहकीकात (अन्वेषण);
 - iii. सहयोगी का रजिस्ट्रीकरण;
 - iv. निर्गमकरता (इश्यूअर) या प्रतिभूतियों को अनुमति देना;
 - v. पालन संबंधी कार्य;
 - vi. निरीक्षण;
 - vii. प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट);
 - viii. मध्यस्थों और शिकायत निवारण की व्यवस्था;
 - ix. सदस्य द्वारा चूक (डिफॉल्ट);
 - x. निवेशक संरक्षण और सेवाएं।

- शाखा-3: अन्य कार्य जिनमें कारोबार का विकास भी शामिल है
 - i. बिक्री:
 - ii. विपणन (मार्केटिंग);
 - iii. नए उत्पाद लाना;
 - iv. वित्त।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./667/2022-23]

पाद टिप्पण:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/40, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 तत्पश्चात्,–
 - क. 4 जून 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/20, द्वारा
 - ख. 21 फरवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/04, द्वारा
 - ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - घ. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा
 - ङ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
 - च. 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/43, द्वारा
 - छ. 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/53, द्वारा
 - ज. 23 फरवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/74, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 28th February, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/125.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with section 25 of the Depositories Act, 1996, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 namely:—

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2023.
- They shall come into force on the one hundred and eightieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018-
 - I. in regulation 2, sub-regulation (1),
 - i. clause (k) shall be substituted with the following, namely,-
 - "(k) "key management personnel" shall include:
 - i. any person appointed as the managing director or executive director; or
 - ii. a person serving as head of any department or vertical and directly reports to the managing director or to the directors on the governing board of the depository; or
 - iii. a person serving as head of a core function as specified under Fourth Schedule of these regulations; or
 - iv. a person who stands higher in hierarchy to the head of any department(s) handling core function(s) in the depository; or
 - v. reporting officials of key management personnel; or
 - vi. any person defined as a "key managerial personnel" under the Companies Act, 2013; or
 - vii. any other person who is key decision making authority at the level of the depository or its direct or indirect material subsidiaries, as identified by the managing director or its Nomination and Remuneration Committee:

Provided that in the case of a subsidiary of a depository that is regulated by a financial sector regulator; the norms specified by such a regulator may be considered for determining as to whether the person at the subsidiary is designated as a key management personnel."

- ii. after clause (k) and before clause (l), the following clause shall be inserted, namely,-
 - "(ka) "non-independent director" means a director elected or nominated by the shareholders who are neither depository participants nor their associates and agents;"
- iii. clause (p) shall be omitted.
- II. in regulation 7
 - i. clause c shall be renumbered as (c) (i).
 - ii. After clause (c) (i) the following shall be inserted
 - "(ii) An employee of a depository shall not simultaneously be an employee of any other company where the depository has invested.
 - (iii) A director, committee member or employee of a depository shall not receive any compensation or any other financial benefit from the companies where the depository has invested, other than fees and expenses related to the governing board and committee meetings."

III. in regulation 24,

- i. In clause (a) of sub-regulation (1), sub-regulation (3), sub-regulation (4), sub-regulation (5), sub-regulation (7), and sub-regulation (8), the words "shareholder directors" shall be substituted with the words and symbol "non-independent directors".
- ii. after sub-regulation (13), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-
 - "(14) (a) The governing board of the depository shall comprise of directors having the requisite qualifications and experience in the areas of capital markets, finance and accountancy, legal and regulatory practice, technology, risk management, and management or administration:

Provided that the governing board of the depository shall comprise of at least one public interest director having the requisite qualification and experience in each of the areas of capital markets, finance and accountancy, legal and regulatory practice, and technology.

(b) The depository may also appoint directors having qualification and experience in other areas which may be specific to them:

Provided that the depository shall ensure that the governing board collectively comprises of directors with qualification and experience as specified at clause (a) above."

IV. after regulation 24, and before regulation 25, the following regulation shall be inserted, namely, -

"Nominees of the Board on the governing board of a depository.

24A. The Board may appoint one or more persons not exceeding three in number, as director(s) on the governing board of any depository and such director(s) shall exercise the same powers as the other directors of the governing board."

V. in regulation 25,

- i. in sub-regulation (1) and sub-regulation (7) the words "shareholder directors" shall be substituted with the words and symbol "non-independent directors".
- ii. in sub-regulation (2), the words "nominated by" shall be substituted with the words "appointed with the prior approval of".
- iii. in sub-regulation (3),
 - a. the word "nominated" shall be substituted with the word "appointed"
 - b. in the first proviso, the words "nominated" shall be substituted with the words "appointed with the prior approval of the Board"
 - c. in the second proviso, the words "nominated" shall be substituted with the word "appointed" and the symbol "/" shall be substituted with the word "or".
- VI. in regulation 26, in sub-regulation (3), in second proviso, the words "of two terms not exceeding five years each" shall be substituted with the words "period of ten years".
- VII. in regulation 27,
 - i. The heading shall be substituted with the following, namely,-
 - "Code of Conduct for the governing board, directors, committee members and key management personnel"
 - ii. sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely,-
 - "(1) The governing board, directors, committee members and key management personnel of a depository shall abide by the Code of Conduct specified under Part- B of Third Schedule of these regulations."
 - iii. sub-regulation (2) shall be omitted
 - iv. sub-regulation (4) shall be omitted.
- VIII. regulation 29 shall be substituted with the following, namely,-

"Segregation of functions

- 29 (1) Every depository shall identify and segregate its functions into the following verticals:
 - (a) Critical Operations;

- (b) Regulatory, Compliance, Risk Management and Investor Grievances; and
- (c) Other functions including business development.
- (2) The functions of the verticals under sub-regulation (1) above are provided at Fourth Schedule of these regulations.
- (3) The functions under the verticals as provided at clause (a) and (b) of sub-regulation 1 shall be given higher priority by the depository over the functions under the vertical as provided at clause (c) of sub-regulation (1).
- (4) Every depository shall periodically and objectively assess the adequacy of resources allocated to the first two verticals as specified in clause (a) and (b) of sub-regulation (1).
- (5) Every depository shall adopt a "Chinese Wall" policy which separates the functions under vertical as provided at clause (b) of sub-regulation (1) from the functions of other verticals.
- (6) The employees referred to in sub-regulation (5) shall not communicate any information concerning their activity to any one in other verticals and may be physically segregated from employees in other verticals including with respect to access controls:

Provided that in exceptional circumstances, employees from other verticals may be given confidential information on "need to know" basis, under intimation to the Compliance Officer."

IX. in regulation 30,

- i. in sub-regulation (1), the word "and" shall be substituted with the symbol "," and after the words and symbol "sub-regulation (3)", the words and symbol "and sub-regulation 3A" shall be inserted.
- ii. in sub-regulation (2), in clause (a), after the words and symbol "committee;" the word "and" shall be inserted.
- iii. in sub-regulation 2, clause (b)shall be omitted.
- iv. in sub-regulation (3), clause (b) shall be omitted.
- v. after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-
 - "(3A) Investment Committee."
- vi. sub-regulation (4) shall be substituted with the following, namely,-
 - "(4) The composition, quorum and functions of the committees under sub-regulation (2), (3) and (3A) shall be in the manner as specified by the Board from time to time."
- X. after regulation 30 and before regulation 31, the following regulation shall be inserted, namely,-

"Grievance Redressal Panel

30A. Every depository shall have Grievance Redressal Panel(s) to resolve investor grievances which shall function in the manner as may be specified by the Board."

- XI. in regulation 31, after sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be inserted, namely,-
 - "(5) Every depository shall internally conduct annual evaluation of its performance and the performance of its statutory committees in such a manner as may be specified by the Board.
 - (6) Every depository shall also appoint an independent external agency to evaluate its performance and the performance of its statutory committees within such periodicity and in such a manner as may be specified by the Board.
 - (7) Every depository shall disclose, on their website, the agenda and minutes of its governing board meetings pertaining to regulatory, compliance, risk management and investor grievance areas, after approval of such minutes.
 - (8) If any director or key management personnel is or becomes aware of any act of wrongdoing at the depository and fails to report to its governing board or to the Board, such a person may be liable for action under these regulations, after providing him a reasonable opportunity of being heard."

- XII. in regulation 81, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-
 - "(3) The compliance officer shall submit a report of any non-compliance of the Act, the Depositories Act, 1996, rules, regulations, circulars or directions issued thereunder and for the redressal of investors' grievances, to the Board on a quarterly basis in the manner as may be specified by the Board."
- XIII. after regulation 81, and before regulation 82, the following regulation shall be inserted, namely, -

"Appointment of the chief risk officer

- **81A**. (1) Every depository shall appoint a chief risk officer to identify, monitor and initiate necessary steps to mitigate the risk associated with the functioning of a depository.
 - (2) The chief risk officer shall be responsible for the overall risk management of the depository and submit a report to the Board on half-yearly basis."
- XIV. after regulation 82 and before regulation 83, the following regulation shall be inserted, namely, -

"Information and Data Sharing Policy

- **82A** (1) Every depository and the company where the depository has invested shall lay down a framework for sharing and monitoring of data, including confidential and sensitive data.
 - (2) The policy framework shall contain:-
 - (a) means and manner of data sharing;
 - (b) types of data that can be shared;
 - (c) escalation matrix for data sharing;
 - (d) provisions to have a digital database for recording details of information shared along with recipients and reasons for sharing, etc.;
 - (e) mechanism to monitor the data shared, through use of technology, including periodic audits to ensure compliance with the policy framework; and
 - (f) accountability mechanism including fixing individual accountabilities for any breach of data sharing policy."
- XV. In Chapter IX, before regulation 84, the following regulation shall be inserted namely, -

"Power to call for information

- 83A. The Board may from time to time call for any information, documents or records from the depository or its governing board or any shareholder or applicant thereof and from depository participant."
- XVI. After Chapter IX and before Chapter X, the following Chapter shall be inserted namely, -

"CHAPTER IX-A

ENFORCEMENT

Power to issue directions and levy penalty by the Board

- 91A. (1) Without prejudice to exercise of its powers under the provisions of the Act, Depositories Act, 1996 and rules and regulations made thereunder, the Board may, either suo moto or on receipt of any information or during pendency of any inspection, inquiry or investigation or on completion thereof, in the interest of public or trade or investors or the securities market, issue such directions as it deems fit, including but not limited to any or all of the following:—
 - (a) directing a person holding equity shares or rights over equity shares in a depository in contravention of these regulations to divest his holding, in such manner as may be specified in the direction;
 - (b) directing transfer of any proceeds or securities to the Investor Protection Fund of a depository;
 - (c) debarring any depository, any shareholder of such depository, or any associate and agent of such shareholder, or any transferee of shares from such shareholder, or applicant(s), director(s) and key management personnel(s) of the depository from accessing the securities market and/or dealing in securities for such period as may be determined by the Board.

- (2) The Board may take action against a depository, director, committee member, key management personnel, employee or any other person associated with the depository, for any contravention or abetting the contravention of these regulations, including the Code of Conduct specified under these regulations, provision of the Act, the Depositories Act, 1996, or any rules or regulations framed thereunder and any circulars or directions issued by the Board, either upon a reference or *suo motu*, as it deems fit, including but not limited to any or all of the following:—
 - (a) debarring a depository from introducing new products and services and restricting its existing activities, products and services, etc
 - (b) imposing such monetary penalty as may be determined by the Board on the depository, directors, committee members, key management personnel, employees or any other person associated with the depository.
 - (c) restricting any such person to attend meetings or otherwise participate or involve themselves in the functioning of the depository.

Explanation—For the removal of any doubt, it is clarified that the power of the Board to take appropriate action under sub-regulation (2) is without prejudice to the exercise of its powers under the provisions of the Act, the Depositories Act, 1996, and the rules and regulations made thereunder:

Provided that the Board while taking action under clauses (a) and (b) above shall have due regard to the factors, including but not limited to any or all of the following:-

- (i) a mala fide intent; or
- (ii) an act of commission or an act of omission; or
- (iii) negligence, or
- (iv) repeated instances of genuine decision making that went wrong.
- (3) While adjudging the quantum of monetary penalty under the Act, the Board shall have due regard to the factors, including but not limited to any or all of the following:—
 - (a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default;
 - (b) the amount of loss caused to the depository or the securities market as a result of the default; and
 - (c) the repetitive nature of the default."
- XVII. regulation 94 shall stand omitted.
- XVIII. regulation 95 shall stand omitted.
- XIX. After regulation 96 and before regulation 97, the following shall be inserted namely,-

"Power to relax the strict enforcement of the regulations.

- 96A (1) The Board may suo motu or upon an application made by a depository, for reasons recorded in writing, grant relaxation from the strict compliance of any of the provisions of these regulations subject to such conditions as the Board deems fit to impose in the interests of investors in securities and the securities market, if the Board is satisfied that:
 - (a) the non-compliance is caused due to factors beyond the control of the entity; or
 - (b) the requirement is procedural or technical in nature.
- (2) The depository making an application referred to under sub-regulation (1) shall pay a non-refundable fee of rupees one lakh payable by way of direct credit in the bank account through NEFT/ RTGS/ IMPS or online payment using the SEBI payment gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time."
- XX. in Second Schedule, in Part-C,
 - i. in clause (I), sub-clause (2) shall be substituted with the following, namely,-
 - "The depository, while recommending the name(s) of director, shall forward the above details to the Board, along with the minutes of the governing board meeting where the name(s) was approved, copy of the shareholder's resolution (wherever applicable), and

a confirmation by the depository that they are fit and proper persons in terms of their fit and proper criteria, are not associated with any depository participant, trading member or clearing member in terms of regulation 24(9) read with regulation 2 (1) (c) of these regulations and compliance with the requirements specified in regulation 24 (14)."

ii. in clause (III),

- a. sub-clause (1) shall be substituted with the following, namely,-
 - "(1) The names of the public interest directors shall be forwarded to the Board after the approval of the governing board of the depository. The shareholders' approval shall not be necessary. A minimum of two names shall be submitted to the Board for each vacancy of public interest directors, two months before such vacancy."
- b. in sub-clause (2), item (a) shall be substituted with the following, namely, -
 - "(a) Qualifications as specified in regulation 24(14)."
- c. n sub-clause (2), item (b) shall be omitted.
- d. In sub-clause (3), the words and symbols "The depository may conduct familiarization programmes for newly appointed public interest directors and may also conduct annual training for every public interest director." shall be omitted.
- e. sub-clause (4) shall be substituted with the following, namely,-
 - "(4) In case of reappointment of the public interest director, the depository shall apply to the Board four months before the expiry of the term. In addition to the other requirements specified herein, the application for reappointment of the public interest director shall be accompanied with, their attendance details on meetings of various mandatory committees and on the governing board of the depository, performance review and the reasons for extension of term."
- f. sub-clause (5) shall be substituted with the following, namely,-
 - "(5) The existing public interest director, may continue holding the post for a maximum period of three months from the date of expiry of their term, or till a new public interest director is appointed, whichever is earlier, only if the governing board does not meet the mandatory regulatory requirements on its composition."

iii. in clause (IV),

- a. in the heading, the words "shareholder directors" shall be substituted with the words and symbol "non-independent directors."
- b. in sub-clause (1), the words "shareholder directors" shall be substituted with the words and symbol "non-independent directors".
- c. sub-clause (2) shall be substituted with the following, namely, -
- "(2) The manner of election, appointment, tenure, resignation, vacation, etc. of a non-independent director shall be governed by the provisions applicable to shareholder directors under the Companies Act, 2013, save as otherwise specifically provided under these Regulations or circulars issued thereunder."
- iv. after clause (V), the following sub-clause shall be inserted, namely,"(VI.) The depository shall provide at least seven days of training to all directors each
 year."

XXI. in Second Schedule, in Part-D,

- i. in clause 1(a), the words "not exceed one third of total pay" shall be substituted with the words "be within a range of 25% to 50% of total pay".
- ii. in clause 1(b), after the word "after" and before the words "three years", the words "a minimum period of" shall be inserted.

XXII. in third Schedule,

i. PART-B, shall be substituted with the following, namely,-

"PART-B

[SEE REGULATION 27]

Code of Conduct for governing board, directors, committee members and key management personnel

I. Governing Board

The governing board of the depository shall –

- (a) evaluate profitability margins of the depositories.
- (b) ensure adequacy of resource allocation (both financial and human) towards regulatory compliances.
- (c) focus on strategy, policy level issues and important matters and may review the day-to-day operational matters only in exceptional cases.
- (d) oversee the critical operations including technology as well as the regulatory, risk management, compliance and investor grievance redressal functions of the depository.
- (e) take the lead in succession planning for managing director and other key positions.
- (f) play an active role in defining, establishing and documenting risk management framework, covering risk appetite or risk tolerance policy of the depository and ensure that the policy contains the following.
 - i. role of risk appetite in key processes
 - ii. clear quantitative metrics and thresholds to monitor performance of the depository's risk appetite
 - iii. acceptability of breaches and trigger response(s), if any.
 - iv. zero tolerance for areas such as cyber security, system stability, surveillance, fair access, fraud or corruption, compliance, etc.
- (g) make key stakeholders (executive and non-executive) aware of the use and value of risk appetite across the organization (including implications of breaches) and review and approve risk appetite metrics and thresholds periodically.
- (h) ensure adequate independence of key functions such as regulatory and control functions (risk management, compliance and audit functions) such that;
 - i. regulatory and control functions have sufficient stature to perform their tasks effectively.
 - ii. regulatory and control functions operate independently and have appropriate direct access to the governing board of the depository and senior management.
 - iii. control functions are proactively involved in all relevant decisions and activities.
- (i) Provide for three lines of defense construct where:
 - the first line of defense incorporates business units and support functions as it has the responsibility to own and manage risks associated with day to day operational activities.
 - ii. the second line of defense comprises various oversight functions, i.e., regulatory, risk management and compliance teams, and
 - iii. the third line of defense comprises the internal audit function.
- (j) ensure that the roles and responsibilities of management in relation to three lines of defense are clearly specified and understood and that all employees are responsible for the regulatory, risk management and compliance outcomes.
- (k) ensure a culture of effective communication and challenge (i.e., encourage alternate views or questions from individuals and groups) and value and respect it.
- (l) ensure that any new product, service, revenue stream is examined by the concerned department of the depository from the compliance and risk management perspectives in addition to normal viability issues before approving the same.
- (m) review periodically all existing products, services, revenue streams.

- (n) shall meet, without the presence of the managing director and any other executive director, chief regulatory officer or compliance officer, the chief risk officer, the chief information security officer, the statutory auditor of the depository and any other person as determined by the public interest directors and non-independent directors to discuss important issues concerning the depository, on a periodic basis as specified by the Board.
- (o) periodically review the frequency of meetings and agenda items of the governing board to ensure that the number of meetings is rationalized and all important issues are discussed.
- (p) ensure that the agenda papers are approved by the chairman of the governing board.
- (q) ensure that members of the governing board can place agenda item during their meeting.
- (r) be responsible for monitoring compliance with the code of conduct by the members of the governing board of the depository.
- (s) uphold a strong culture in the depository and promote the target culture from the top through behavior, actions and effective communication.
- communicate the guiding principles for institution's target regulatory, compliance, risk and conduct culture.
- (u) endeavor that the depository put in place key elements related to culture such as:
 - i. adequate training programs to help employees better understand expectations of behavior (for example, trainings on dilemmas);
 - ii. mechanisms to measure and track indicators related to culture at regular intervals;
 - iii. accountability mechanisms; and
 - iv. performance management mechanisms which take into account adherence to culture, conduct and behavior related dimensions.

II. Code of Conduct for Directors, Committee Members and key management personnel

A. Applicable to directors, committee members and key management personnel of Depository:

1. General Responsibility.

Every director, committee members and key management personnel of the depository shall—

- (a) analyse and administer the depositories' issues with professional competence, fairness, impartiality, efficiency and effectiveness;
- (b) submit the necessary disclosures or statement of holdings or dealings in securities as required by the depository from time to time as per their Rules, Bye-laws or Articles of Association;
- (c) unless otherwise required by law, maintain confidentiality and not divulge or disclose any information obtained in the discharge of their duty and no such information is used for personal gains;
- (d) maintain the highest standards of personal integrity, truthfulness, honesty and fortitude in discharge of their duties in order to inspire public confidence and not engage in acts discreditable to their responsibilities;
- (e) perform their duties in an independent and objective manner and avoid activities that may impair, or may appear to impair, their independence or objectivity or official duties;
- (f) perform their duties with a positive attitude and constructively support open communication, creativity, dedication, and compassion;
- (g) not engage in any act involving moral turpitude, dishonesty, fraud, deceit, or misrepresentation or any other act prejudicial to the administration of the depository;
- (h) promote greater awareness and understanding of ethical responsibilities;
- (i) in the conduct of their business, observe high standards of commercial honour and; just and equitable principles of trade;
- (j) in their conduct in business life be exemplary which may set a standard for others;
- (k) not use their position to give or get favours to or from the executive or administrative staff of the depository, technology or service providers and vendors or suppliers of the depository;

- (l) not commit any act which will put the reputation of the depository in jeopardy;
- (m) comply with the provisions of all applicable laws to the securities market;
- (n) directors and key management personnel shall at all point of time comply with all the internal policies of the depository including their code of conduct. If there is a conflict between the code of conduct policy of the depository with those provided by the Board, then the policy issued by the Board shall prevail.

2. Regulatory Compliances.

Every director, committee member and key management personnel of the depository shall—

- (a) ensure that the depository abides by all the applicable provisions of the Act, the Depositories Act, 1996, rules and regulations framed thereunder and the circulars, directions or any other instructions issued by the Board from time to time;
- (b) ensure compliance at all levels so that the regulatory system does not suffer any breaches;
- (c) ensure that the depository takes steps commensurate to honour the time limit stipulated by Board for corrective action.

3. Disclosures of Beneficial Interest.

All directors, committee members and key management personnel shall disclose to the governing board of depository, upon assuming office and during their tenure in office, whenever the following arises:—

- (a) any fiduciary relationship of self and family members and directorship/ partnership of self
 and family members in any trading member or clearing member or depository participant or
 registrar and transfer agent;
- (b) shareholding, in cases where the shareholding of the director/ key management personnel, directly or through his family exceeds 5 percent in any listed company or in other entities related to the securities markets;
- (c) any other business interests.

4. Access to Information.

- (a) There shall be prescribed channels through which information shall move and further there shall be audit trail of the same. Any retrieval of confidential documents or information shall be properly recorded.
- (b) All such information, especially which is non-public and price sensitive, shall be kept confidential and not be used for any personal consideration or gain.
- (c) Any information relating to the business or operations of the depository, which may come to the knowledge of directors or committee members or key management personnel during performance of their duties shall be held in strict confidence, shall not be divulged to any third party and shall not be used in any manner except for the performance of their duties.
- (d) Directors shall call for information only as part of specific committees or as may be authorised by the governing board of depository.

5. Misuse of Position.

Directors or committee members or key management personnel shall not use their position to obtain business or any pecuniary benefit in the organization for themselves or family members.

B. Applicable to the Directors and Committee Members

1. Meetings and Minutes.

The directors and committee members of the depository shall—

- (a) not participate in discussions on any subject matter in which any conflict of interest exists or arises, whether pecuniary or otherwise, and in such cases the same shall be disclosed and recorded in the minutes of the meeting;
- (b) not encourage the circulation of agenda papers during the meeting, unless circumstances so require;

- (c) ensure that minutes are recorded to capture all points of opinion comprehensively;
- (d) offer their comments on the draft minutes and ensure that the same are incorporated in the final minutes:
- (e) insist on the minutes of the previous meeting being placed for approval in subsequent meeting;
- endeavor to have the date of next meeting fixed at each governing board meeting and committee meetings respectively in consultation with other respective members of the governing board and committees;
- (g) ensure that all important agendas placed before the governing board of depository and committees are deliberated in a timely manner;
- (h) not support any decision in the meeting of the governing board of depository and the committees respectively which may adversely affect the interest of investors and shall report forthwith any such decision to the Board.

2. Role of the directors and committee members in the day to day functioning of the depository.

- (a) The directors and committee members shall not interfere in the day to day functioning of the depositories and shall limit their role to decision making on policy issues and to issues as the governing board of depository may decide.
- (b) The directors and committee members shall abstain from influencing the employees of the depositories in conducting their day to day activities.
- (c) The directors and committee members shall not be directly involved in the function of appointment and promotion of employees unless specifically so decided by the governing board of depository.

3. Avoidance of Conflict of Interest.

- (a) No Director or committee member of the depository shall participate in any decision making/adjudication in respect of any person/matter in which he or she is in any way, directly or indirectly, concerned or interested.
- (b) Conflict of interest in a matter, if any, shall be decided by the governing board of the depository.

4. Strategic Planning.

Every director and committee member of the depository shall—

- (a) participate in the formulation and execution of strategies in the best interest of the depository and contribute towards pro-active decision making at the governing board level;
- (b) give benefit of their experience and expertise to the depository and provide assistance in strategic planning and execution of decisions;
- (c) place priority for redressing investor grievances and encouraging fair trade practice so that the depository becomes an engine for the growth of the securities market.

5.Disclosure of dealings in securities by Directors of the Depositories.

- (a) All transactions or dealings in securities by the directors and their immediate relatives (as defined in Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015) shall be disclosed to the governing board of the depository.
- (b) All directors shall also disclose the trading conducted by firms or corporate entities in which they hold twenty percent or more beneficial interest or hold a controlling interest, to the depository.
- (c) The details including time period for disclosures stated above shall be provided by the depository, provided that the time period for disclosure shall not be later than fifteen days of the transaction/dealing.
- (d) Directors who are nominees of Government of India, its statutory bodies or Public Financial Institutions and are governed by their own codes shall be exempt from this requirement.

C. Applicable to public interest directors

- (a) Public interest directors of the depositories shall endeavor to attend all the governing board meetings and they shall be liable to vacate office if they remain absent for three consecutive meetings of the governing board or do not attend seventy-five percent of the total meetings of the governing board in a calendar year.
- (b) Public interest directors shall meet separately, at least once in six months to exchange views on critical issues. Public interest directors shall submit a report of such meeting to the Board and to the governing board of the depository within the time and manner as may be specified by the Board from time to time.
- (c) Public interest directors shall identify important issues which may involve conflict of interest for the depository, or may have significant impact on the functioning of the depository, or may not be in the interest of securities market. The same shall be reported to the Board in a time bound manner as may be decided by the depository.
- (d) Public interest directors shall have regular oversight on regulatory requirements and observations of Board's inspection particularly on issues of governance standards, technology and cyber security and system audit and cyber security audit observations.
- (e) Public interest directors should be proactive in identifying any issues concerning functioning of the depository and report the same to the Board. Public interest directors should ensure all regulatory communication or letter from the Board are placed before governing board with comments/report of managing director.
- (f) Public interest directors shall put in place an evaluation mechanism to assess the performance of managing directors on a continuing basis in line with evaluation guidelines for public interest directors.
- (g) Public interest directors shall ensure that appointments of managing director be held within specified timelines. Identification of key management personnel be closely scrutinized as per the laid down procedure and exceptions should be brought to the notice of the Board.
- (h) Public interest directors should take proactive part in deliberations of different committees and steer their functioning.
- (i) Adequacy of resource allocations (both financial & human) towards regulatory compliances to be ensured.

D. Applicable to Independent External Professionals

(a) Independent External Professionals shall not use or act on any sensitive information received in capacity as a member of the statutory committee for obtaining any undue benefit.

E. Applicable to key management personnel

- (a) Managing director of the depository shall meet employees without the presence of other key management personnel (the heads of departments) to discuss important issues pertaining to depository
- (b) Key management personnel of the depository shall disclose on a periodic basis as determined by the depository (which could be monthly), all their dealings in securities, directly or indirectly, to the governing board or regulatory oversight committee or Compliance Officer of depository.
- (c) All transactions must be of an investment nature and not speculative in nature. Towards this end, all securities purchased must be held for a minimum period of sixty days before they are sold. In specific/ exceptional circumstances, however, sale can be effected anytime by obtaining pre-clearance from the compliance officer to waive this condition after recording in writing his satisfaction in this regard.

Explanation. - "securities" for the purpose of this code shall not include mutual fund units."

- v. PART C shall be omitted
- vi. PART D shall be substituted with the following, namely-,

"PART-D

[See Regulation 17]

Code of Conduct for Depositories

A Depository shall:

- (a) always abide by the provisions of the Act, Depositories Act, 1996, any Rules or Regulations framed thereunder, circulars, guidelines and any other directions issued by the Board from time to time.
- (b) adopt appropriate due diligence measures.
- (c) take effective measures to ensure implementation of proper risk management framework and good governance practices.
- (d) take appropriate measures towards investor protection and education of investors.
- (e) treat all its applicants/members in a fair and transparent manner.
- (f) promptly inform the Board of violations of the provisions of the Act, the Depositories Act, 1996, rules, regulations, circulars, guidelines or any other directions by any of its issuer or issuer's agent.
- (g) take a proactive and responsible attitude towards safeguarding the interests of investors, integrity of depository's systems and the securities market.
- (h) endeavor for introduction of best business practices amongst itself and its members.
- (i) act in utmost good faith and shall avoid conflict of interest in the conduct of its functions.
- (j) not indulge in unfair competition, which is likely to harm the interests of any other Depository, their participants or investors or is likely to place them in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment.
- (k) segregate roles and responsibilities of key management personnel within the depository including
 - a. Clearly mapping legal and regulatory duties to the concerned position
 - b. Defining delegation of powers to each position
 - c. Assigning regulatory, risk management and compliance aspects to business and support teams
- (l) be responsible for the acts or omissions of its employees in respect of the conduct of its business
- (m) monitor the compliance of the rules and regulations by the participants and shall further ensure that their conduct is in a manner that will safeguard the interest of investors and the securities market.

XXIII. Fourth Schedule shall be substituted with the following, namely,-:

"FOURTH SCHEDULE

Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018

See regulation 2(k)(iii)

Core functions of the depository

- 1. For depositories the core and critical functions shall include but not limited to:
 - a. Vertical 1: Critical Operations
 - Provision for dematerialization of securities including holding and transfer of such securities;
 - ii. Record keeping of information related to dematerialized securities;
 - iii. IT infrastructure for core and critical functions;
 - iv. Business continuity plan and disaster recovery operations;
 - v. Cyber Security and cyber resilience framework.

- b. Vertical 2: Regulatory, compliance, risk management and investor grievances.
 - i. Risk management;
 - ii. Surveillance and investigation;
 - iii. Participant registration;
 - iv. Issuer or securities admission;
 - v. Compliance;
 - vi. Inspection;
 - vii. Enforcement;
 - viii. Arbitration and grievance redressal mechanism;
 - ix. Investor protection and services.
- c. Vertical 3: Other Functions including Business Development.
 - i. Sales;
 - ii. Marketing;
 - iii. Product Development;
 - iv. Finance."

BABITHA RAYUDU, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./667/2022-23]

Footnote:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on October 3, 2018 vide No. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/40.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were subsequently amended on,
 - a. 4th June, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/20.
 - b. 21st February, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/04.
 - c. 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - d. 5th May, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
 - e. 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - f. 13st August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/43.
 - g. 26th October 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/53.
 - h. 23rd February by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/74.